R.B.E. No. 171/04

GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA
(RAILWAY BOARD)

NO. E(NG)I-99/SR6/22 New Delhi, dated 2.11.2004

The General Managers
All Indian Railways &
Production Units.

Sub: Seniority of Typist and Stenographers transferred to the clerical cadre of the AccountsDepartment.

In terms of the instructions contained in this Ministry's letter No. E(NG)I-69/PM1/20 dated 25.7.69, from 1.4.70 the employees who pass the Appendix II Examination are required to be considered for promotion strictly with reference to the time of passing the examination as was already the case in respect of Appendix III qualified staff. Accordingly, the promotion and seniority in promoted grade of Appendix II qualified staff will be with reference to their position in the Appendix II panel; persons borne on an earlier panel ranking enbloc senior to those borne on a later panel. With these instructions coming into force from 1.4.70 the instructions contained in the Ministry's earlier letter No.E(S)63/CPC/30 dated 31.5.63 regulating seniority of Sr. Typists and Stenographers on their posting as Junior Accounts Asstts. (formerly Clerks grade-I) in the Accounts Department on passing Appendix II examination based on their length of service in the identical grade stood modified to the extent indicated. However, while reiterating these instructions vide this Ministry's letter No.E(NG)I-94/SR6/51 dated 20.4.95 the instructions contained in the Ministry's letter dated 25.7.69 appear to have been lost sight of inadvertently giving rise to an anomalous situation in which a Sr. Typist or a Stenographer passing Appendix-II examination later, on their posting as Jr. Accounts Assistant (JAA) gains seniority over those JAAs who had already been promoted by virtue of their passing Appendix-II examination earlier.

2. In view of the above, the matter has been reviewed by the Ministry of Railways. It is clarified that instructions contained in their letter dated 31.5.63 to the extent the same relate to seniority of Sr. Typists and Stenographers as JAA on passing Appendix II examination are no longer relevant in light of the instructions contained in the Ministry's letter dated 25.7.69. Accordingly, the

.....2/-

C:\My Documents\nk\...

instructions contained in this Ministry's letter dated 20.4.95 are hereby withdrawn with immediate effect.

3. It may also be noted that consequent upon enhancement of pay scales of Jr. Accounts Assistants (JAA) from Rs.4000-6000 to Rs.4500-7000 w.e.f. 1.1.1996 there is no scope for Sr. Typists and Stenographers who continue to be in lower pay scale of Rs.4000-6000, being allowed the benefit of service rendered by them as Sr. Typist/Stenographers on posting/promotion as JAA after passing Appx.II Exam and towards counting three years service as JAA prescribed for promotion as Accounts Asstt.

4. It has further been decided that

(i) except seniority other consequential benefits like promotion, pay etc. (including retiral benefits in respect of those who have already retired) extended to staff in terms of this Ministry's letter dt. 20.4.95 as mentioned in para 2 up to 31.12.1995 may be protected as personal to them; and

(ii) benefit of this Ministry's letter dated 20.4.95 in terms of seniority, promotion and fixation of pay even after revision of scales of Pay of Accounts staff as mentioned in para 3 above may be reviewed, if not already done. However, recovery, if any, due on account of refixation of pay will not be made. In respect of those who have already retired no review need be made, if not already done.

5. This issues with the concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railways.

Please acknowledge receipt.

(J.S.Gusain)
Director Estt.(N)
Railway Board.

C:\My Documents\...

No. E(NG)I-99/SR/22 **New Delhi. Dated 2.11.04**

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, All Indian Railwaymen's Federation, Room No.253, Rail Bhavan, New Delhi (35 copies).

2. The General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen, Room No.256-E, Rail Bhavan, New Delhi (35 copies).

3. All Members, Departmental Council and National Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (60 spares).

4. The Secretary General, Federation of Railway Officers Association, Room No.256-A, Rail Bhavan, New Delhi (5 spares).

5. The Secretary General, Indian Railway Promotee Officers Association, Room No.268, Rail Bhavan, New Delhi (5 spares).

6. The General Secretary, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhavan, New Delhi-110001.

7. The Secretary, RBSS Group 'A' Officers Association, Rail Bhavan, New Delhi.

8. The Secretary, RBSS Group 'B' Officers Association, Rail Bhavan, New Delhi.

9. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association, Rail Bhavan, New Delhi.

10. The Secretary, Railway Board Group 'D' Employees Association, Rail Bhavan, New Delhi.

12. Chief Commissioner of Railway Safety, Lucknow.

for Secretary/Railway Board

Copy to:-

PSs to MR, MSR(N) and MSR(V).
PPSs to CRB, FC, MS, MM, MT, ML, ME, Secretary.
PPSs to all Additional Members, Advisers, DG/RHS and DG/RPF.
PSs to all EDs/JSs and IG/RPF.

D(OL), DPC-I&II, DE(G), D(IH), D(H&FW), D(MPP), D(Safety), JDE(N)II, JDE(R)I&II, JDE(Rep)I&III, JDE(D&A), JDE(L), JDE(LL),DD(Code Revision), DD(Health), DDE(N), DDE(D&A), DDE(LR)I, DDE(LR)II, DDE(LR)III, US(A), DDV(A&P), DDE(Rep)II, DD(OL)I&II, DDE(RRB), E(NG)II, E(Rep)I,II&III, E(SCT)I&II, PC-III,IV&V, E(P&A)I&II, E(RRB), ERB-II, ERB-IV, CE-I,II&III, Sec.(E), Sec.(ABE), E(MPP), E(G), Health Branch, Safety Branch, A/C-III(5 spares), Code Revision Cell(5 spares).

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

आर बी ई. सं. 232/04

सं. ई(एन जी) I-99/एस आर 6/22 नई दिल्ली, दिनांक 02 .11 .2004

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें एवं
उत्पादन इकाइयां,

विषय: लेखा विभाग के लिपिक संवर्ग में स्थानांतरित टाइपिस्टों तथा आशुलिपिकों की वरिष्ठता.

इस मंत्रालय के 25.7.69 के पत्र सं. ई (एन जी) I-69/पी एम 1/20 में अंतर्विष्ट अनुदेशों के अनुसार, 1.4.70 से उन कर्मचारियों पर, जिन्होंने परिशिष्ट II परीक्षा पास की है, पदोन्नति के लिए उनके परीक्षा पास करने के समय के संदर्भ में विचार किया जाना अपेक्षित है जैसाकि परिशिष्ट-III पास कर्मचारियों के संबंध में पहले से ही था. तदनुसार, परिशिष्ट II पास कर्मचारियों के पदोन्नत गेड में पदोन्नति तथा वरिष्ठता परिशिष्ट II पैनल में उनकी स्थिति के अनुरूप होगी, पूर्ववर्ती किसी पैनल में शामिल व्यक्ति किसी बाद के पैनल में शामिल व्यक्तियों से सामूहिक रूप से वरिष्ठ होंगे. इन अनुदेशों के 1.4.70 से प्रभावी होने के कारण, इस मंत्रालय के 31.5.63 के पूर्ववर्ती पत्र सं. ई (एस) 63/सी पी सी/30 में अंतर्विष्ट अनुदेश जो समान गेड में अपनी सेवा अवधि के आधार पर परिशिष्ट -II परीक्षा पास करने पर लेखा विभाग में कनिष्ठ लेखा सहायक (पहले के क्लर्क गेड -I) के रूप में तैनाती होने पर वरिष्ठ टाइपिस्टों तथा आशुलिपिकों की वरिष्ठता को विनियमित करते हैं, उल्लिखित सीमा तक आशोधित हो जाते हैं. लेकिन, इस मंत्रालय के 20.4.95 के पत्र सं. ई (एन जी)I-94/एस आर 6/51 के द्वारा इन अनुदेशों को दोहराते समय ऐसा प्रतीत होता है कि इस मंत्रालय के 25.7.69 के पत्र में अंतर्विष्ट अनुदेश अनजाने में नजर अंदाज हो गए हैं जिसके कारण एक विसंगति की स्थिति उत्पन्न हो गई जिसमें वरिष्ठ टाइपिस्ट या आशुलिपिक जो बाद में परिशिष्ट-II परीक्षा पास करने पर कनिष्ठ लेखा सहायक के रूप में अपनी तैनाती पर उन कनिष्ठ लेखा सहायकों से वरिष्ठ हो जाता है जो पूर्ववर्ती परिशिष्ट-II परीक्षा पास करने के आधार पर पहले पदोन्नत किए जा चुके हैं.

2. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, रेल मंत्रालय द्वारा इस मामले की पुनरीक्षा की गई है. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस मंत्रालय के 31.5.63 के पत्र में अंतर्विष्ट अनुदेश जिस सीमा तक वे वरिष्ठ टाइपिस्टों तथा आशुलिपिकों द्वारा परिशिष्ट-II परीक्षा पास करने पर कनिष्ठ लेखा सहायक के रूप में उनकी वरिष्ठता से संबंधित है. इस मंत्रालय के 25.7.69 के पत्र में अंतर्विष्ट अनुदेशों को ध्यान

में रखते हुए अब प्रासंगिक नहीं है. तदनुसार, इस मंत्रालय के 20.4.95 के पत्र में अंतर्विष्ट अनुदेश एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाते हैं.

3. यह भी नोट किया जाए कि 1.1.1996 से कनिष्ठ लेखा सहायकों का वेतनमान 4000-6000 रुपये से बढ़कर 4500-7000 रुपये होने के परिणामस्वरूप उन वरिष्ठ टाइपिस्टों तथा आशुलिपिकों को, जो 4000-6000 रुपये के निचले वेतनमान में कार्यरत हैं, परिशिष्ट-II परीक्षा पास करने के बाद कनिष्ठ लेखा सहायक के रूप में तैनाती/पदोन्नति पर तथा लेखा सहायक के रूप में पदोन्नति के लिए कनिष्ठ लेखा सहायक के रूप में तीन वर्ष की निर्धारित सेवा की गणना के लिए वरिष्ठ टाइपिस्टों/आशुलिपिकों के रूप में उनके द्वारा की गई सेवा के लाभ की अनुमति नहीं दी जाएगी.

4. आगे यह विनिश्चय किया गया है कि :

(i) वरिष्ठता को छोड़कर अन्य परिणामी लाभ जैसे पदोन्नति, वेतन आदि (इसमें सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ भी शामिल हैं जो उन कर्मचारियों के संबंध में हैं जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं) जो इस मंत्रालय के 20.4.95 के पत्र जिसका पैरा 2 में उल्लेख है के अनुसार 31.12.95 तक दिए गए थे, को वैयक्तिक आधार पर ही सीमित रखा जाए, तथा

(ii) इस मंत्रालय के 20.4.95 के पत्र में उल्लिखित वरिष्ठता, पदोन्नति तथा वेतन निर्धारण संबंधी लाभों की, उपर्युक्त पैरा 3 में यथा उल्लिखित लेखा कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन किए जाने के बाद भी पुनरीक्षा की जाए यदि पहले नहीं की गई है. बहरहाल, वेतन के पुन: निर्धारण के कारण वसूली यदि कोई हो, नहीं की जाएगी. उन कर्मचारियों के मामले में, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, यदि पहले पुनरीक्षा नहीं की गई है, तो पुनरीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है.

5. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है.

कृपया पावती दें।

(जे. एस. गुसाईं)
निदेशक, स्था.(अराज.)
रेलवे बोर्ड

सं. ई(एन.जी)I/99/एस.आर.6/22 नई दिल्ली, दिनांक 02 .11.2003

1. महासचिव, ऑल इंडियन रेलवेमेन फेडरेशन, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियां).

2. महासचिव, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन, कमरा नं. 256- ई, रेल भवन (35 अतिरिक्त प्रतियां).

3. सभी सदस्य, विभागीय परिषद् एवं राष्ट्रीय परिषद् तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद् , 13-सी. फिरोजसाह रोड, नई दिल्ली (60 अतिरिक्त प्रतियां).

4. महासचिव, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियां).

5. महासचिव, इंडियन रेलवे प्रोमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 268, रेल भवन नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियां).

6. महासचिव, ऑल इंडिया आर.पी.एफ. एसोसिएशन, कमरा नं. 256 डी, रेल भवन नई दिल्ली

7. सचिव, आर.बी.एस.एस. गुप 'ए' अधिकारी एसोसिएशन, रेल भवन नई दिल्ली .

8. सचिव, आर.बी.एस.एस. गुप 'बी 'अधिकारी एसोसिएशन, रेल भवन नई दिल्ली .

9. सचिव, आर.बी.एम.एस.ए., रेल भवन नई दिल्ली .

10. सचिव, रेलवे बोर्ड गुप 'डी' कर्मचारी संघ रेल भवन नई दिल्ली।

11. सलाहकार, संरक्षा, रेलवे बोर्ड

12. मुख्य आयुक्त, रेल संरक्षा, लखनऊ

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड

C:\My Documents\NR.doc32